

28-3-23

पञ्जाब की पेश हुई मजदूरों पर किए उपरोक्त  
 कठोर उपपक्षकारण को सुनाया। प्राचीन मजदूरों  
 ने दिनांक 12-10-22 का उपरोक्त डेकल प्रारम्भ पेश  
 कर विवेक किया है कि विचार प्रकलन में लोक  
 अदालत की भावना से अब रजिस्ट्रार होगा है  
 इस कारण अब प्रारम्भ होगा नहीं-यतना चाहिए है  
 किसे विवेक करने की अनुमति दी जाये। कठोर लक्ष्य  
 को कोई एतद्वज नहीं है। अतः प्रारम्भ काबत किसे  
 विवेक करने स्वीकार किया जाता है। कार्यवाही द्रोपकी  
 जाती है। निरूपित से इतना सुनाया गया।

Hansraj

(Signature)

अति कलक्टर (द्वितीय)  
जयपुर